

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

8 OCT 2021

क्रमांक: प.1(48)नविवि/II/2007पार्ट

जयपुर, दिनांक:

8 OCT 2021

आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत श्री टीकम चन्द, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), जो वर्तमान में नगर विकास न्यास, अलवर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 16.07.2021 से एक वर्ष तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
4. सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
6. श्री टीकम चन्द, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), नगर विकास न्यास, अलवर।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।


सहायक शासन सचिव-द्वितीय